वर्त्तमान आर्थिक समस्याएँ

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। स्वतंत्रता के बाद हमने काफी प्रगति की है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की है। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गयी जिसने देश को प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान दी है। क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

इन उपलब्धियों के बावजूद भारत के सामने कई तरह की आर्थिक समस्याएँ हैं जिनके शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में प्रमुख हैं- गरीबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि और मुद्रा स्फीति, भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या।

इन समस्याओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उपस्थित की हैं। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत में गरीबों और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। प्रस्तुत अध्याय में हम इन समस्याओं के स्वरूप, उनके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार द्वारा इस समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा भी इस अध्याय में की गयी है।

निर्धनता / गरीबी (Poverty)

परिचय : निर्धनता या गरीबी मूलतः आर्थिक समस्या है क्योंकि आर्थिक अभाव ही निर्धनता को जन्म देता है। गरीबी से उत्पन्न स्थितियाँ सामाजिक जीवन को सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। आर्थिक अभाव के कारण जब व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तब वह 'गरीब' के रूप में पहचाना जाता है।

दूसरे शब्दों में, जब बड़ी संख्या में लोगों को रहने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, खाने के लिए पौष्टिक आहार न मिले, पहने के लिए कपड़ों का अभाव हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ अपर्याप्त हों तो ऐसी स्थिति को 'गरीबी' कहा जाता है।

निर्धन कौन है?

गरीब या निर्धन वह व्यक्ति है जो असहाय है, शोषण या भेदभाव का शिकार है। निर्धनतम परिवार का शाश्वत सत्य भूख और भूखमरी है। कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, मजदूर आदि निर्धन व्यक्ति के उदाहरण हैं। इनका जीवन जोखिम भरा होता है। इनकी परिसम्पत्तियाँ **(Assets)** बहुत कम होती है, नहीं भी हो सकती है। दो बार का खाना भी गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, फलतः कुपोषण, अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर बीमारियाँ इन्हें अपने चपेट में ले लेती है। गरीब व्यक्ति बुनियादी कौशल तथा साक्षरता से भी वंचित रह जाते हैं जिससे उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यन्त सीमित रह जाते हैं।

गरीबी की धारणा

निर्धनता / गरीबी को व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में असमर्थता की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में निर्धनता की धारणा **(Concept)** भारत से बिल्कुल ही अलग होगी क्योंकि साधारण अमेरिकी नागरिक कहीं अधिक ऊँचे जीवन स्तर पर रह रहा है। वहाँ 23050 $ (डॉलर) वार्षिक आय गरीबी का पैमाना है। दूसरी तरफ भारत में गरीबी की सामान्यतः स्वीकृत परिभाषा अच्छे या उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर पर बल देती है। गरीबी को दो प्रारूपों में भी देखा जाता है, ये हैं-

Abdiel Solutions
Empowering Technology...

1. सपेक्षिक गरीबी (Relative Poverty)

यह व्यक्ति के जीवन की वह स्थिति है जिसमें वह अपने को अमीर लोगों की तुलना में निर्धन पाता है। इस स्थिति में गरीबी का पता तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में लगाया जाता है। अमेरिका, इंगलैण्ड तथा अन्य पश्चिमी देशों (विकसित देशों) में गरीब उन्हें कहा जाता है जिनकी हालत भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान, बंग्लादेश आदि) तथा अफ्रीकी देशों के गरीबों से कई गुणा अच्छी है। गरीबी का यह प्रकार (सापेक्ष गरीबी) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय और जीवन-स्तर की विषमता की ओर संकेत करता है।

2. निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी (Absolute Poverty)

इससे तात्पर्य है- जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम साधनों का पूर्णतया अभाव। इस प्रकार के व्यक्ति गरीब या दरिद्र कहे जाते हैं। ये लोग निर्धारित गरीबी के मापदंड से नीचे का जीवन-स्तर जीते हैं। इनकी गरीबी वास्तविक मानी जाती है।

भारतीय योजना आयोग के अनुसार, "निर्धनता एक विस्तृत धारणा है। इसके अन्तर्गत केवल वे लोग नहीं आते जो बेरोजगार एवं गरीब हैं वरन् वे भी आते हैं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से रोजगार में तो हैं किन्तु जो निम्न उत्पादकता एवं अल्प मजदूरी के कारण बहुत ही कम अर्जन कर पाते हैं।"

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गरीबी मुख्यतः रोजगार एवं धन के अभाव की स्थिति है, रोजगार के अवसर होते हुए भी उत्पादकता एवं मजदूरी की निम्न दर के कारण कम आय प्राप्त करना है। इस तरह गरीबी से तात्पर्य मानव की आधारभूत आवश्यकताओं- भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति/उपलब्धता में असमर्थता है।

भारत में गरीबी

भारत में व्यापक स्तर पर गरीबी (Mass Poverty) व्याप्त है। विश्व में गरीबों की कुल संख्या के पाँचवें हिस्से से अधिक गरीब केवल भारत में रहते हैं। यहाँ लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते।

भारतीय योजना आयोग के अनुसार निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
1973-74	56.4	49.2	54.9
1987-88	39.1	40.1	39.3
1993-94	37.3	32.4	36.0
1999-2000	27.1	23.6	26.8
2004-05	42.0	25.5	37.2
2009-10	33.8	20.9	29.8

स्रोत-योजना आयोग, भारत सरकार

गरीबी के उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में गरीबी का अनुपात घट रहा है। 1973 में 55 प्रतिशत गरीबी थी जो 2009-10 में 29.8 प्रतिशत तक आ गयी है। योजना आयोग द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार 2011-12 में यह 21.9 प्रतिशत रह गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी में कमी के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य **Millennium Development Goals** (एम.डी.जी.) को 2015 तक हासिल कर लेगा।

गरीबी के आँकड़ों के कमी के बावजूद गरीबों की संख्या में वृद्धि विरोधाभास भी उत्पन्न करता है। योजना आयोग के सदस्य अभिजीत सेन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 24.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 से 25 करोड़ मानी जा रही है।

गरीबी रेखा

गरीबी की माप की कई विधियाँ प्रचलित है। भारत में मुख्यतः दो विधियाँ प्रयोग में लायी जाती है। इसकी एक विधि न्यूनतम कैलोरी उपयोग का मौद्रिक मान का निर्धारण करने की विधि है, तो दूसरी विधि मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय **(MPCE : Monthly Per capita Consumption Expenditure)** को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। आइए देखें इनका निर्धारण कैसे होता है?

भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों या संस्थाओं ने गरीबी निर्धारण के लिए अपने-अपने मापदंड बनाए हैं। इन सभी अध्ययनों का आधार 2250 कैलोरी के बराबर खाद्य का मूल्य है।

योजना आयोग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त होता उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।

दूसरी विधि जिसमें गरीबी रेखा का निर्धारण तेंदूलकर फॉर्मूले पर किया जाता है उसके तहत योजना ने कैलोरी की मात्रा के बजाए प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय **(MPCE)** के आधार पर किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2004-05 से सरकार इसी आधार पर गरीबी के आँकड़े जारी कर रही है। 672.8 रुपये प्रतिमाह ग्रामीण तथा 859.6 रुपये प्रतिमाह शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोग व्यय को 2009-10 में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए मानक माना गया है। 2011-12 के लिए इसके संशोधित करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में 27.20 रुपये ग्रामीण क्षेत्र और 33.30 रुपये शहरी क्षेत्र में खर्च करने वाला आदमी गरीब नहीं है। योजना आयोग द्वारा निर्धारित इस आधार पर विवाद बना हुआ है।

गरीबी का दुष्चक्र

एक अल्प विकसित देश पूंजी के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाता है। जिससे कुल उत्पादन कम रह जाता है। इस स्थिति में आय कम होने के कारण बचत दर कम होती है। फलतः निवेश और पूंजी निर्माण की दर भी नीची होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 'नर्क्स **(Nurkse)** ने इस स्थिति को 'गरीबी के दुश्चक्र' **(Vicious circle of poverty)** के रूप में व्यक्त किया है जिसमें गरीब देश सदैव गरीब बना रहता है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है :-

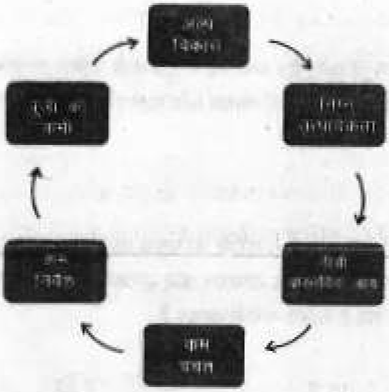

उपर्युक्त चित्रों से यह स्पष्ट है कि जब देश में निवेश और पूंजी निर्माण की दर नीची होगी तो आय और बचत की दर कम होने से मांग में कमी आती है और फिर पूंजी निर्माण भी कम होता है। यही चक्रीय प्रवाह 'गरीबी का दुश्चक्र' कहलाता है।

भारत में गरीबी के कारण

प्रायः यह कहा जाता है कि 'भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं।' संसाधनों की प्रचुरता, विशाल जनशक्ति, और पर्याप्त कुशलता के बावजूद यहाँ व्यक्तियों का जीवन स्तर निम्न है। वस्तुतः भारत में गरीबी के कई कारण है जिनका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है-

1. कृषि का पिछड़ापन

भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है। यहाँ की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है किन्तु कृषि क्षेत्र की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। किसानों को उत्तम खाद, बीज और सिंचाई उपलब्ध नहीं होता और कृषि का परंपरागत तरीका उन्हें लाभ से वंचित करता है। पूंजी के अभाव और तकनीकों की कमी के कारण किसान व्यवसायिक फसलों का उत्पादन नही कर पाते और वे जीवन निर्वाह कृषि अपनाते हैं। कृषि में रोजगार सृजन 3-4 महीने ही होता है फलतः गरीबी बनी रहती है।

2. असंतुलित विकास

भारत में आर्थिक विकास का स्तर अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। हमारा आर्थिक विकास का मॉडल गरीब को और गरीब तथा अमीर को और अमीर बना रहा है। किसी देश के रहन-सहन का स्तर वहाँ की आर्थिक सम्पन्नता पर निर्भर करता है। भारत में अपर्याप्त और असंतुलित विकास के कारण यहाँ जीवन स्तर निम्न है। यह गरीबी का परिचायक है।

3. उद्योगों का अभाव

यह विदित तथ्य है कि जिस देश में उद्योगों की प्रचुरता है वह देश विकसित या अमीर देशों की श्रेणी में है। इसके विपरीत जहाँ उद्योगों का अभाव है वह देश गरीब है। भारत इसका सटीक उदाहरण है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के रूप में खनिज की पर्याप्त उपलब्धता है किन्तु उद्योगों का अभाव है। भारत में अधिकतम औद्योगिक विकास दर 8 प्रतिशत रही है। यहाँ उद्योगों का विकास नहीं होने से पूंजी और रोजगार का अभाव बना रहता है जो गरीबी का कारण बनता है।

4. बचत एवं निवेश का अभाव

हमारे देश में प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण पूंजी का संचय बहुत कम हो पाता है। अगर लोग कुछ पूंजी संचित करते भी है तो इसका समुचित निवेश करना नहीं जानते। धन की गोपनीयता (जेवर आदि के रूप में) व्यापार और उद्योग में इसके प्रयोग को हतोत्साहित करती है।

5. प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग का अभाव

भारत प्राकृतिक साधनों के दृष्टिकोण से धनी देश है किन्तु इसका समुचित प्रयोग न होना गरीबी का प्रमुख कारण है। गंगा-यमुना के विशाल और उपजाऊ मैदानी भाग पर खेती की निम्न उत्पादकता, वनोत्पाद, खनिज उत्पादन और जनशक्ति का भी अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे यहाँ व्यक्तियों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है फलतः गरीबी कायम है।

6. तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या

गरीबी का एक प्रमुख कारण भारत की विशाल जनसंख्या भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। हालांकि जनसंख्या की वृद्धि दर कम हुई है फिर भी यह अत्यधिक है। जनाधिक्य के कारण लोगों का जीवन स्तर निम्न है और गरीबी बढ़ रही है।

7. बेरोजगारी

गरीबी का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। शहरों में और गाँवों में व्याप्त बेरोजगारी मजदूरों को ऋण-जाल में उलझा देती है। जिससे उनकी गरीबी और बढ़ जाती है। ऋण-ग्रस्तता गरीबी का एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

8. रोजगान्मुखी शिक्षा का अभाव

भारत की दोषपूर्ण शिक्षा नीति सिर्फ साक्षर बनाने पर जोर देती है। देश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अभाव है। आज भी स्कूलों, कॉलेजों में परंपरागत शिक्षा प्रदान की जा रही है जो युवकों को रोजगार प्रदान करने में अक्षम है। रोजगार का अभाव गरीबी की संख्या में वृद्धि कर रहा है।

9. भ्रष्टाचार और कालेधन की समस्या

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर है किन्तु विकास का लाभ सामान्य लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। बहुत मुश्किल से जुटाए गये विकास के संसाधन भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्यों में नहीं लग पाते हैं। काले धन के रूप में देश की बहुत बड़ी धन राशि बाहर चली जाती है। सरकार उसका उपयोग करने से वंचित रह जाती है। ऐसी समस्याएँ देश में गरीबी और असमानता बढ़ाती है।

गरीबी दूर करने के उपाय

भारत में गरीबी एक गंभीर समस्या है। यह कई कारकों का सामूहिक परिणाम है। अतः इसके स्थायी उन्मूलन के लिए कई क्षेत्रों में एक साथ और संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। गरीबी दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं-

1. तीव्र गति से आर्थिक विकास

गरीबी उन्मूलन तभी हो सकता है जब देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जाए। चीन, जापान आदि देश इसके उदाहरण

हैं। आर्थिक विकास दर को तेजी से बढ़ाकर हम अपने प्राकृतिक एवं माननीय संसाधनों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे गरीबी की समस्या का समाधान संभव है।

2. ग्रामीण विकास को प्राथमिकता

भारत में गरीबी की बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारित संरचना का विकास, कृषि क्षेत्र में, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, उत्तम खाद-बीज तथा उपकरणों के माध्यम से सुधार कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सुधार के लिए 'भारत निर्माण' कार्यक्रम संचालित है। ग्रामीण भारत के विकास होने से आधी गरीबी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

3. आर्थिक विषमता में कमी

हमारे देश में व्यापक आर्थिक असमानता है। यहाँ राष्ट्रीय आय का लगभग 30 प्रतिशत भाग एक प्रतिशत लोगों के पास केंद्रित होता है जबकि 70 प्रतिशत व्यक्ति कठिनाई पूर्वक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। देश में धन और आय का समान वितरण करने की आवश्यकता है तभी गरीबी दूर हो सकती है।

4. रोजगार के अवसरों का सृजन

बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे से संबंधित है। यदि बेरोजगारी दूर करने के सार्थक उपाय किए जाते हैं तो निर्धनता कम होती है। गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर गरीबी दूर की जा सकती है।

5. जनसंख्या वृद्धि पर रोक

जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण से गरीबी दूर की जा सकती है। इससे प्रतिव्यक्ति आय तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा। 'जनसंख्या नीति-2000' के कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं फिर भी जनसंख्या नियंत्रण के व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। शिक्षा एवं परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार-प्रसार इस दिशा में प्रभावी उपाय हो सकता है।

6. रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल

शिक्षा में समग्र सुधार की आवश्यकता है। इसे रोजगारपरक बनाना होगा। देश में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। स्कूल-कॉलेजों को अपनी शैली और स्वरूप में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि शिक्षा गरीबी मिटाने का हथियार बने न कि बेरोजगारी का कारण।

समावेशी विकास

भारत में विकास का स्वरूप समावेशी नहीं है। कुछ राज्य अधिक विकसित हैं तो कुछ अत्यंत गरीब। इस अंतर को कम करना होगा। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड आदि राज्य पिछड़े हैं। यहाँ गरीबों की संख्या अत्यधिक है और यहाँ से भारी संख्या में मजदूरों का पलायन होता है। इन राज्यों में भारी मात्रा में निवेश और विशेष सहायता के द्वारा विकास किया जा सकता है जिससे इन राज्यों में गरीबी उन्मूलन संभव हो सके।

इस तरह आधारभूत संरचना का विकास अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन एवं काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर गरीबी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास

सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए त्रि-आयामी नीति अपना रही है। पहली-सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरी- अतिरिक्त परिसम्पत्तियों और कार्य सृजन द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाना तथा तीसरी- लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) से लेकर अब तक (जबकि बारहवीं योजना (2012-17) कार्यान्वित है) सरकार ने गरीबी निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

1. काम के बदले अनाज योजना

इस योजना को भारत सरकार द्वारा 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह योजना उस सभी गरीबों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। इसमें भारत सरकार द्वारा गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

2. मनरेगा

राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 द्वारा इसकी शुरुआत की गयी। भूख, गरीबी और बेरोजगारी निवारण की इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना में आवेदक को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

3. मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme)

गरीबों के लिए यह काफी महत्त्वपूर्ण योजना है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1995 में हुई। इसके अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2009

यह स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया प्रारूप है। इसके अन्तर्गत 2014-2015 तक ग्रामीण गरीबी निवारण का लक्ष्य है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

5. भारत निर्माण योजना (2005)

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मुख्य क्षेत्रों सिंचाई, जलापूर्ति, विद्युत, संचार, आवास और सड़क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा चलाए गये अन्य प्रमुख कायक्रमों की सूची इस प्रकार है -

योजना		वर्ष
कान के बदले अनाज योजना	-	1977-78
अन्त्योदय अन्न योजना	-	1977-78
TRYSEM	-	1979
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	1980

जवाहर रोजगार योजना	-	1989
दस लाख कुओं की योजना	-	1989
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	-	1993
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	-	1993
रोजगार आश्वासन योजना	-	1993
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	-	1997
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्तरी रोजगार योजना	-	1999
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	-	2001

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (5 जुलाई 2013)

इसको कानूनी जामा पहनाए जाने के बाद देश की कुल 121 करोड़ आबादी के 67 प्रतिशत लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के दायरे में 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को शामिल किया है। योजना के तहत हर माह राशन की दुकानों पर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज- चावल, गेहूँ और मोटा अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये मिल सकेगा।

करीब 2.3 करोड़ अत्यन्त गरीब परिवारों को भी अन्तोदय अन्न योजना के तहत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से इसका लाभ मिल सकेगा। अन्तोदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जाएगा।

बेरोजगारी (Unemployment)

बेरोजगारी भारत के लिए एक गंभीर समस्या है। इसका हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैसे तो बेरोजगारी प्रायः दुनिया के प्रत्येक हिस्से में पायी जाती है किन्तु विकसित और विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर होता है।

भारत में बेरोजगारी निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर का प्रमुख कारण है। आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी अभिशाप है। इससे पूरे देश को आर्थिक क्षति होती है क्योंकि इसमें मानव संसाधन का उपयोग नहीं हो पाता है। बेरोजगारी के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी आय कम हो जाती है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है एवं कार्य क्षमता घट जाती है। इससे अनेक तरह की समाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न होने लगती है।

बेरोजगारी का अर्थ एवं परिभाषा

'बेरोजगारी' शब्द से तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति के काम करने की इच्छा एवं सामर्थ्य रहते हुए भी उचित वेतन दर पर कार्य नहीं मिल पाता है। दूसरे शब्दों में, काम चाहने वाले व्यक्तियों को इच्छा और योग्यता के बावजूद प्रचलित मजदूरी पर काम मिलने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। इस श्रेणी में कार्यशील जनसंख्या (15-59 आयु वर्ग) को ही शामिल किया जाता है।

बेरोजगारी के प्रकार

वर्तमान परिदृश्य में बेरोजगारी दुनिया के अधिकांश देशों में व्याप्त है। भारत में यह जटिल समस्या के रूप में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसमी और छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी के विभिन्न प्रारूपों का वर्णन इस प्रकार है-

1. संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)

अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण जब रोजगार के अवसर कम होते हैं तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह देश के पिछड़े आर्थिक ढाँचे के साथ संबंधित है, इस कारण इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है।

2. प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment)

इसके अन्तर्गत किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हैं, अर्थात् बाहर से तो सभी श्रमिक काम में लगे प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तव में उन श्रमिकों की आवश्यकता नही होती है। यदि इन श्रमिकों को इस व्यवसाय से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में इनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। विकासशील देशों में इसका प्रभाव ज्यादा है।

3. अल्प रोजगार या अर्द्ध बेरोजगारी (Under Unemployment)

इसके अन्तर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है किन्तु अपनी क्षमता या योग्यतानुसार काम नही मिलता या पूरे समय काम नही मिलता है। जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर से कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाए तो इसे अर्द्ध बेरोजगारी कहते हैं।

4. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)

इसके अन्तर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र एवं बर्फ के कारखानों मुख्यतः 7-8 माह काम चलता है तथा शेष अवधि में व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है।

5. खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)

इससे तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों को बिना किसी काम के रहना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पायी जाती है। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आए वे लोग शामिल होते हैं जो काम न मिलने के कारण बेरोजगार पड़े रहते हैं।

6. शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)

शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक है जिन्हें कार्य कुशलता एवं क्षमता के बावजूद अपेक्षित रोजगार नहीं मिलता है। विकसित एवं विकासशील देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है।

7. तकनीकी बेरोजगारी (Technological Unemployment)

इस प्रकार की बेरोजगारी नए-नए प्रौद्योगिकी आविष्कारों जैसे- स्वचालित मशीनों एवं कम्प्यूटरों के प्रयोग से होता है। उन्नत

तकनीक के कारण उद्योगों या व्यवसायों से श्रमिकों को विस्थापित कर दिया जाता है जिससे वे बेकार हो जाते हैं। यह विकसित देशों में पायी जाती है, हाल में भारत में भी इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिल रही है।

8. चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)

व्यापार चक्र के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट या मंदी के परिणामस्वरूप जब रोजगार के अवसरों में कमी आती है तो उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यह अस्थायी प्रकृति की होती है और अर्थव्यवस्था के मंदी से बाहर आने पर समाप्त होने लगती है।

9. घर्षणात्मक बेरोजगारी (Fricitional Unemployment)

बाजार की शक्तियों मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं।

10. शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)

शहरी क्षेत्रों में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पायी जाती है इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी को भी शामिल किया जाता है।

11. ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)

इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी के प्रमाणिक आँकड़े भी उपलब्ध नहीं होते हैं।

भारत में बेरोजगारी की स्थिति

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर

(श्रमशक्ति के प्रतिशत के रूप में)

अवधि	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1993-1994	5.6	7.4
1999-2000	7.2	7.7
2004-2005	8.28	8.28
2009-2010	6.8	8.2

स्रोत (NSSO)

भारत में बेरोजगारी की स्थिति

श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत की बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत है। देश एवं प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी की दर निम्नलिखित है-

राज्य	बेरोजगारी की दर (2011-12)
भारत	3.8
मिजोरम	0.3
गुजरात	0.9
हिमाचल प्रदेश	1.3
राजस्थान	1.4
मध्य प्रदेश	2.1
उत्तर प्रदेश	2.2
उड़िसा	2.4
बिहार	2.7

NSSO द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है, किन्तु वर्ष 1999-2000 से 2004-05 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 से 2005-10 के दौरान 18 मिलियन कार्य अवसरों का सृजन हुआ। बेरोजगारी की दर में गिरावट दर्ज की गयी है।

रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है। कुल रोजगार में कृषि का प्रतिशत 48.2 है, और लगातार घट रहा है। विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र में मामूली वृद्धि के साथ यह 20 प्रतिशत के आस-पास है। तृतीयक या सेवा क्षेत्र जिसमें होटल और रेस्तरां भी शामिल है, में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है और इस क्षेत्र में लगभग एक तिहाई 31.8 प्रतिशत रोजगार की उपलब्धता है। 11 वीं (2007-12) योजना में 58 मिलियन अवसरों के सृजन का लक्ष्य था। बारहवीं योजना (2012-17) में 5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। स्पष्टतः भारत में प्राथमिक क्षेत्र पर रोजगार की निर्भरता घटती जा रही और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र स्थिर है।

बेरोजगारी के कारण

बेरोजगारी भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की एक प्रमुख बाधा है। यहाँ लगभग 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि और उससे संबंधित कार्य है। इसके अतिरिक्त बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता और देश की विशाल श्रम शक्ति अनुत्पादक रह जाती है। बेरोजगारी कई अन्य कारणों से भी उत्पन्न होती है, उसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. **जनसंख्या में तीव्र वृद्धि** : भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती हुई सन् 2011 में 1 अरब 21 करोड़ तक जा पहुँची है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। इससे कृषि पर बोझ बढ़ रहा है और छिपी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या के कारण नगरों का निरंतर विस्तार हो रहा है और ग्रामीणों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। इस प्रकार गाँवों के साथ-साथ शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

2. **कृषि का पिछड़ापन :** कृषि प्रधान देश होने एवं रोजगार का महत्त्वपूर्ण स्रोत होने के बावजूद भारत में कृषि पिछड़ी हुई है। भारतीय कृषि पूर्णतः मॉनसून पर आधारित है, जो प्रायः अनिश्चितता की प्रकृति रखता है। खेती में सिंचाई का अभाव और परपंरागत तरीकों का उपयोग भी इसके पिछड़े होने को बाध्य कराता है। कृषि का पिछड़ापन बेरोजगारी का मुख्य कारण है।

3. **पूंजी का अभाव :** रोजगार में वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय की नीची दर के कारण पूंजी निर्माण की दर भी काफी नीची है। फलतः कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के अपेक्षित पूंजी निवेश नहीं है। जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है।

4. **आर्थिक विकास की धीमी गति :** आर्थिक प्रगति के तमाम दावों के बीच भारत के आर्थिक विकास दर धीमी बनी हुई है। वैश्विक मंदी के असर, गलत नीतियों और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं ने आर्थिक विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। विकास की धीमी दर रोजगार सृजन को हतोत्साहित करती है। कंपनियाँ छँटनी करने लगती हैं और नये रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते इस तरह बेरोजगारी की समस्या और विकराल होने लगती है।

5. **उद्योगों का अभाव :** जिस देश में उद्योगों का अधिकाधिक विकास होता है वह विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है। उदाहरणार्थ- अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया खनिज संसाधन के प्रचुरता के बाद भी ऊर्जा और पूंजी के अभाव ने उद्योगों के प्रगति सीमित कर दिया है। शिक्षित/प्रशिक्षित आबादी इसी कारण बेरोजगार है। दूसरी ओर, मशीनीकृत/कम्प्यूटीकृत उद्योगों में छटनी भी बेरोजगारी का कारण बनती है।

6. **दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली :** भारतीय शिक्षा नीति दोषपूर्ण है। अभी भी भारत की एक चौथाई आबादी निरक्षर है। स्कूल-कॉलेजों में दी जा रही शिक्षा रोजगारोन्मुख नहीं है। व्यवसायिक और रोजगारपरक शिक्षा के अभाव ने बेरोजगारी बढ़ाने का ही कार्य किया है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में भारतीय श्रमिक तकनीकी कुशलता वाले रोजगार यथा- कम्प्यूटर, प्रबंधक और भारी मशीन संचालन आदि क्षेत्रों के भागीदारी से वंचित रहते हैं, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है।

बेरोजगारी का प्रभाव

बेरोजगारी की समस्या समाज में अनेक तरह की विकृतियाँ उत्पन्न करता है। इसका सीधा असर व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पड़ता है जिसे निम्न प्रकार देखा जा सकता है।

1. **सामाजिक प्रभाव :** बेरोजगारी का समाज पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे मानव संसाधन का श्रम शक्ति के रूप में उपयोग नहीं हो पाता है। श्रमिक कम मजदूरी तथा अलाभप्रद स्थितियों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें उनका शोषण बढ़ता है। श्रमिकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। कृषि आदि क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न हो जाते हैं और उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। अपने मेहनत के अनुरूप प्रतिफल नहीं मिलने से निराश किसान आत्म हत्या तक करने लगते हैं। बेरोजगारी पारिवारिक विघटन का भी कारण बनता है और रोजगार के अभाव में व्यक्ति अपराध और अनैतिक कार्यों की ओर मुड़ जाता है। जिससे सामाजिक विघटन का खतरा उत्पन्न होने लगता है।

2. **आर्थिक प्रभाव :** बेरोजगारी के कारण व्यक्ति की आय कम हो जाती है और उसका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। इससे गरीबी बढ़ने लगती है और मानव संसाधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाता है। पूंजी की कमी और अन्य संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी पड़ती है और अर्थव्यवस्था 'मंदी' का शिकार हो जाती है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों का वांछित उपयोग न होने से बेरोजगारी में इजाफा होने लगता है।

बेरोजगारी दूर करने के सरकारी उपाय

बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या के निराकरण के लिए सरकार प्रारंभ से ही प्रयत्नशील है। इसे दूर करने के लिए सरकारी उपायों के साथ-साथ गैर सरकारी उपायों की भी आवश्यकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का निम्न प्रकार अध्ययन किया जा सकता है-

1. **सरकारी प्रयास :** सरकार बेरोजगारी दूर करने की दिशा में सतत् प्रयत्नशील है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ग्राम निर्माण कार्यक्रम, 'काम के बदले अनाज योजना' जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गये। छठी योजना में भी निर्धनता और रोजगार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम **(IRDP)** ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम **(RLEGP)** आदि प्रमुख है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 से प्रारंभ की गयी थी इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। अब इसका नाम बदलकर आजीविका कर दिया गया है। इस योजना में पूर्व से चल रही 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया है-

(क) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	-	**Integrated Rural Development Programme (IRDP)**
(ख) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण	-	**Training of Youths for self Employment (TRYSEM)**
(ग) ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम	-	**DWACRA**
(घ) ग्रामीण दस्तकारी उन्नयन कार्यक्रम	-	**SITARA**
(ङ) गंगा कल्याण योजना	-	**GKY**
(च) दस लाख कुओं की योजना	-	**MWS**

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। इसमें सहायता प्राप्त व्यक्ति 'स्वरोजगारी' कहे जाते हैं लाभार्थी नहीं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, (MNREGA) :

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया गया। पहले चरण में इसे देश के 27 राज्यों के 200 जिलों के 80,000 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया जिसमें बिहार के सर्वाधिक 23 जिले शामिल थे। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। 2009 से इसका नाम बदलकर 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' **(MNREGA)** कर दिया गया है।

खास बातें (विशेषताएँ मनरेगा की)

1. गरीबों को काम की गारंटी देने वाला दुनिया का पहला कार्यक्रम।
2. प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी।
3. न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति 139 रुपये निर्धारित।

4. आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार अन्यथा बेरोजगारी भत्ता।

5. इस योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी।

6. केन्द्र सरकार इस योजना का 90 प्रतिशत खर्च वहन करेगी लेकिन 10 प्रतिशत खर्च के साथ योजना के अमल की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी।

निष्पादन

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मनरेगा' के तहत 2011-12 के दौरान 19 जनवरी 2012 तक 3.80 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2013-14 के बजट में 33,000 करोड़ रुपये का आवंटन इस योजना के लिए किया गया है।

स्पष्टतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली यह योजना सफलता की ओर बढ़ रही है और समाज के पिछड़े लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति (Price Rise and Inflation)

भूमिका

'मूल्य वृद्धि' का सामान्य अर्थ है वस्तुओं की कीमतों का बढ़ जाना। इसे अक्सर 'महंगाई' कहा जाता है। 'महंगाई की मार' भारतीय अर्थव्यवस्था की गंभीर परेशानी है। आम तौर पर 'महंगाई' से सारे लोग प्रभावित होते हैं किन्तु गरीबों के लिए यह ज्यादा मारक बन जाती है। 'मूल्य वृद्धि' को नियंत्रित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली है। अनाज, फल-सब्जियों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने सरकार और आम आदमी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। थोक और खुदरा कीमतों में असंतुलन भी महंगाई को बढ़ावा देता है। मूल्य वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं- मसलन, आर्थिक नीतियाँ, कालाबाजारी, उत्पादन में गिरावट, मांग में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि आदि।

मुद्रा स्फीति (Inflation) क्या है?

वस्तुओं की कीमत में निरंतर होने वाली वृद्धि मुद्रा स्फीति के रूप में पहचानी जाती है। दूसरे शब्दों में मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है अर्थात् उसकी क्रय क्षमता घट जाती है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन (Supply of Money) में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि होती है तो मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रा स्फीति दो तरह से उत्पन्न होती है-

1. **मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति (Demand Pull Inflation) :** जब किसी वस्तु के सामान्य कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांगी गयी मात्रा कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न स्फीति मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा का प्रवाह तो बढ़ जाता है किन्तु उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी।

2. **लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति (Cost Push Inflation) :** जब किसी वस्तु के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति कहते हैं।

मुद्रा स्फीति की माप (Measurement of Inflation)

मुद्रा स्फीति की माप सामान्य कीमत निर्देशांकों (Price Index) द्वारा की जाती है। यह कीमत निर्देशांक वस्तुओं के औसत मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की माप करता है। इसकी गणना के लिए आधार वर्ष को 100 मान लिया जाता है तथा उसकी तुलना में चालू

वर्ष के निर्देशांक की गणना की जाती है। यदि चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से ज्यादा है तो यह कीमतों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है और यदि चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से कम है तो यह कीमतों में कमी को प्रदर्शित करता है। भारत में मुद्रा स्फीति की माप मुख्यतः दो सूचकांकों पर आधारित है-

1. थोक मूल्य सूचकांक **(Wholesale Price Index : WPI)**

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumers Price Index : CPI)**

WPI-C.P.I. तुलनात्मक स्वरूप

क्र. सं.		W.P.I.	C.P.I.
1.	आधार वर्ष	2004-05	2010, (2012-प्रस्तावित)
2.	आधार	मासिक	मासिक
3.	आधार कीमत	फैक्ट्री कीमत	फैक्ट्री कीमत के साथ कर और परिवहन व्यय शामिल
4.	मदों की प्रकृति	रोजमर्रा के जीवन से संबंधित नहीं, सेवा मद शामिल नहीं	मुख्य रूप से रोजमर्रा की जीवन से संबंधित वस्तुएँ और सेवा मद शामिल।
5.	प्रभाव	मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों पर प्रभाव	लोगों के जीवन पर मुद्रा स्फीति के सार्वजनिक प्रभाव को दर्शाता है।

मुद्रा स्फीति का प्रभाव

विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए हल्की सी मुद्रास्फीति (3-4 प्रतिशत) टॉनिक का कार्य करती है, क्योंकि थोड़ी-बहुत मूल्य वृद्धि से उत्पादक अधिक लाभ की उम्मीद में अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं जिससे रोजगार और विकास दर में वृद्धि होती है। किन्तु अनियंत्रित या अत्यधिक मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालती है। अति उत्पादन की स्थिति तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण बाजार में मंदी आ जाती है। जिससे उद्योग-धंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है। इसका सबसे अधिक भार उन व्यक्तियों पर पड़ता है जिनकी आय स्थिर है। जो वेतनभोगी, पेंशनभोगी या मजदूरी से गुजारा करने वाले होते हैं, वे मुद्रा स्फीति के दबाव को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं।

मुद्रा स्फीति से बचत की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है क्योंकि :

1. उपभोग व्यय बढ़ जाता है।

2. वास्तविक ब्याज दर कम हो जाती है।

यह निवेश को भी दो स्तरों पर प्रभावित करता है। उपभोग व्यय बढ़ने के कारण निवेश हेतु उपलब्ध बचत की मात्रा में कमी आती है। बचत को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक **(Reserve Bank of India : RBI)** को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। इस वृद्धि के कारण निवेश महंगा हो जाता है।

स्पष्टतः मुद्रा स्फीति का आर्थिक संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है, वस्तुओं की लागत और कीमत बढ़ने से निर्यात महंगा होता है और व्यापार संतुलन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है।

भारत में मुद्रा स्फीति

थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 20-04-05) आधारित मुद्रा स्फीति की दर दिसम्बर 12 तक में 7.18 रही है। दिसंबर 11 में यह 7.24 थी। अक्टूबर 2012 में 9.75, नवम्बर 12 में 9.90 तथा दिसंबर 2012 में मुद्रा स्फीति की दर 10.56 थी। स्पष्टतः मुद्रा स्फीति में काफी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है।

मुद्रा स्फीति की समस्या का समाधान

अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण दैनिक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। मध्यम और निम्न आय वर्ग को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस प्रमुख समस्या के समाधान के लिए मुख्यतः तीन उपायों का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। ये उपाय हैं-

(1) मौद्रिक उपाय (2) राजकोषीय उपाय और (3) अन्य उपाय

1. **मौद्रिक उपाय (Monetary Measures) :** देश में मुद्रा पूर्ति अथवा साख नियंत्रण से संबंधित उपायों को मौद्रिक उपाय कहा जाता है। इनका संचालन भारत का केंद्रीय बैंक- भारतीय रिजर्व बैंक **(R.B.I.)** करता है। इन उपायों में प्रमुख है- बैंक दर **(Bank rate)** में वृद्धि, नकद कोष अनुपात **(Cash Reserve Ratio : CRR)** में वृद्धि, वैधानिक तरलता अनुपात **(Statutory Liquidity Ratio : SLR)** में वृद्धि तथा खुले बाजार में प्रतिभूतियों के बेचना। दूसरे शब्दों में रिजर्व बैंक मांग को संतुलित करने के लिए 'महंगी मुद्रा नीति' को अपनाता है।

2. **राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures) :** सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण से संबंधित उपाय राजकोषीय उपाय के अन्तर्गत आते हैं। सरकार मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी के प्रयास करती है तथा सार्वजनिक ऋण की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे फिजुलखर्जी पर रोक लगती है। इस तरह वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है।

3. **अन्य उपाय (Other measures) :** मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपायों का भी सहारा लिया जाता है। इनके अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण, राशनिंग, आयात में वृद्धि और निर्यात पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल होते हैं।

कालाधन (BLACK MONEY)

कालाधन आर्थिक समस्या के साथ-साथ सामाजिक समस्या के रूप में भी देखा जाता है। यह सामाजिक असमानता और अनैतिकता को बढ़ावा देने के साथ ही समानान्तर अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है।

सामान्य अर्थ में, काला धन वैसे धन को कहा जाता है जिसका लेखा-जोखा (विवरण) सरकार के पास नहीं होता है। कर सुधार के लिए गठित राजा चेलैया समिति ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि- किसी अर्थव्यवस्था में काला धन वह रकम है जिसका लेन-देन कारोबारियों द्वारा जानबूझ कर खाता-बहियों से दूर रखा जाता है जिससे सरकार को राजस्व का भारी-भरकम चुना लगता है।

भारत में काला धन

भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1955-56 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रो. निकोलस कॉल्डोर (**Nicholas Kaldor**) ने इस दिशा में ध्यान खींचा था। उन्होंने अपने आकलन में तत्कालीन काले धन को देश के सकल घरेलू उत्पाद (**G.D.P.**) का 4-5 प्रतिशत बताया था। धीरे-धीरे समस्या विकराल होती गयी और विगत पाँच-छः दशकों में काले धन के अर्थशास्त्र ने समानान्तर अर्थव्यवस्था के रूप में आकार ग्रहण कर लिया है।

वर्त्तमान में काले धन का भारतीय अर्थव्यवस्था में निश्चित आँकड़ा तो उपलब्ध नहीं है लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि यह कुल जी.डी.पी. का 40-50 प्रतिशत तक हो सकता है। वाशिंगटन (**U.S.A.**) स्थित (**Global Financial Intelligence : G.F.I.**) के अनुसार भारत से 436 अरब डॉलर की राशि का काले धन के रूप में प्रवाह होता है। जबकि स्विस बैंक एशोसिएशन के अनुसार भारत के 65,550 अरब रुपये स्विस बैंक (**Swiss Bank**) में जमा है। देश में 11.5 प्रतिशत काले धन की सालाना वृद्धि हो रही है। काले धन से संबंधित 150 देशों की सूची में भारत का स्थान 8वाँ है। मोटे तौर पर यह राशि देश पर कुल विदेशी कर्ज से 13 गुना अधिक है। अगर यह राशि वापस आ जाए, तो सरकार वित्तीय संकट से उबर सकती है और देश में विकास की गंगा बहायी जा सकती है।

काले धन का स्रोत

देश में काले धन के कई स्रोत हैं। कंपनियाँ कॉरपोरेट टैक्स की चोरी कर काला धन अर्जित करती है। आयकर, उत्पाद शुल्क, एवं सीमा शुल्क की चोरी तथा अवैध कारोबार के जरिए भी काले धन की कमाई की जाती है। कर चोरी के पैसे ने बॉलीवुड में 'संगठित उद्योग' का रूप ले लिया है। राजनैतिक भ्रष्टाचार भी काले धन को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। नौकरशाही नेताओं और कारोबारियों से मिलकर काले धन के साम्राज्य के विस्तार में लगी हुई है। काले धन को विदेश भेजने में हवाला की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। काले धन के स्रोत का निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है –

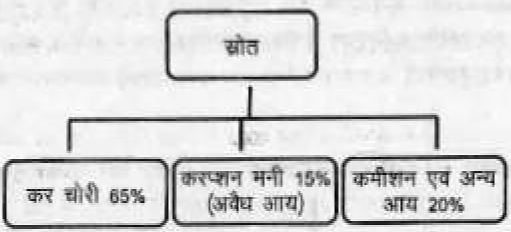

स्पष्टः काला धन में सर्वाधिक योगदान कॉरपोरेट टैक्स चोरी का है। इसके बाद 15 प्रतिशत का योगदान 'करप्शन मनी' का है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की जाती है। काला धन में 20 प्रतिशत हिस्सा अफरशाही के कमीशन एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है।

काले धन का प्रभाव

सरकार पर प्रभाव : काले धन पर टैक्स नहीं दिया जाता है, इससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति होती है। विकास कार्य प्रभावित होता है तथा देश के विकास गति अवरुद्ध हो जाती है।

सामाजिक प्रभाव : काले धन का प्रयोग प्रायः अवैध एवं निजी कार्यों के लिए ही किया जाता है। काला धन विषमता और अनैतिकता को बढ़ाता है।

राजनैतिक प्रभाव : राजनीति में काला धन के प्रवेश से राजनैतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। चुनाव में धन-बल का प्रयोग बढ़ जाता है फलतः राजनीति दूषित हो जाती है।

आर्थिक प्रभाव : 'काला धन' 'समानान्तर अर्थव्यवस्था' को जन्म देता है। इससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि में वृद्धि होती है। काला धन देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देता है।

काले धन में वृद्धि के कारण

1. 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नयी आर्थिक नीति लागू की गयी। इस नीति के तहत आर्थिक नियमों को उदार बनाया गया। उदारीकरण के कारण भारतीय धन का काले धन के रूप बड़े पैमाने पर विदेशों में प्रवाह हुआ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापारिक समझौते के कारण भी काले धन में वृद्धि होती है। इस सौदे में 'कमीशन मनी' की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

3. धन को काला धन में परिणत करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन 'हवाला व्यापार' है। भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन में निर्माण में हवाला व्यापार का योगदान सर्वाधिक है।

4. कर चोरी के पैसे को जमा करने के लिए जो क्षेत्र / देश स्वर्ग माने जाते हैं इनमें स्वीट्जरलैंड, सैंट किट्स, साइप्रस, बहामास आदि शामिल है। ये क्षेत्र 'टैक्स हेवेन्स' **(Tax Havens)** इसलिए कहलाते हैं कि इन्होंने विदेशी धन को आकर्षित करने के लिए उसे कर मुक्त **(Tax Free)** कर दिया है और उसकी गोपनीयता भी बनी रहती है।

काला धन रोकने संबंधी कानून

1. **फेमा (FEMA- Foreign Exchange Management Act) :** नई आर्थिक नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1999 में इसे पारित और जून, 2000 में लागू किया गया। यह कानून **FERA (Forign Exchange Regulation Act-1974)** की तुलना में कमजोर सिद्ध हुआ है। **FERA** में आर्थिक तथा फौजदारी दण्ड का प्रावधान था वहीं फेमा सिर्फ आर्थिक दण्ड का प्रावधान करता है।

2. **मनी लाउण्ड्रिंग बिल :** प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउण्ड्रिंग बिल 2002 में लागू किया गया जो अवैध ढंग से उनकी आवाजाही पर निगरानी के रखने में सहायक है। इसे 2008 में संशोधित करके सजा की न्यूनतम अवधी 3 साल और अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

3. **केन्द्रीय सतर्कता आयोग (C.V.C.) :** यह आयोग भी गलत और अवैध ढंग से अर्जित आय की जाँच करता है। सरकार इस संस्था को ज्यादा स्वायत्त और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है।

काले धन के रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास

1. भारत सरकार ने काले धन की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ **(U.N.O.)** के साथ एक समझौता किया है जिससे काले धन के प्रवाह में कमी आएगी। इसमें वित्तीय खुफिया इकाई **(Finance Intelligence)** के गठन का प्रस्ताव है जो वित्तीय लेन-देन के आँकड़ों की निगरानी तथा विश्लेषण करेगा।

2. 30 मई 2011 से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयकर निदेशालय का गठन किया गया है। यह निदेशालय प्रत्यक्ष कर कानून के तहत वित्तीय अपराधों के प्रभावों और इससे जुड़े मामले की जाँच करेगा।

3. संसद में प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय करदाता अनिवार्य रूप से अपनी उन परिसम्पत्तियों की घोषणा करें जो विदेशों में है।

4. अघोषित कर अदायगी के योग्य आमदनी पर आयकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड, और ब्याज के साथ ही मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है।

5. काले धन की जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जाँच दल (S.I.T.) का गठन किया है।

उपर्युक्त कदमों से स्पष्ट है कि 'काले धन' की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है। वह इसकी रोकथाम के लिए प्रयासरत है। इसके सकारात्मक परिणाम के संकेत भी मिलने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता और जनांदोलनों के दबाव के कारण स्विस बैंक **(Swiss Bank)** में जमा धन में उल्लेखनीय कमी आयी है। अब भारत 9000 करोड़ की राशि के साथ 70 वें स्थान पर आ गया है। **(Indian Express July 2013)**

काले धन की समस्या से निबटने के लिए अभी और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और राजनैतिक इच्छाशक्ति की मदद से इस समस्या का समाधान संभव है।

हवाला - हवाला व्यापार के जरिए करेंसी की अदला-बदली की जाती है। इस व्यापार में लगे लोग भुगतान घरेलू मुद्रा **(Domestic currency)** में करते है तथा इसके बदले विदेशों में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कर देते हैं। हवाला व्यापार की विनिमय दरें **(Exchange rates)** देश के विभिन्न केंद्रों में प्रायः अलग होती है।

सामानान्तर अर्थव्यवस्था (Paralle Economy) - समानान्तर अर्थव्यवस्था' से अभिप्राय देश की छिपी हुई अर्थव्यवस्था से है जो गैरकानूनी या अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त धन से निर्मित होती है जिसे 'काला धन' के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग अवैध कार्यों के किया जाता है।

भ्रष्टाचार (Corruption)

भ्रष्टाचार आज एक ऐसी समस्या बन चुका है जिससे समाज का कोई भी वर्ग, व्यक्ति और क्षेत्र अछूता नहीं है। अब भ्रष्टाचार को जीवन की सामान्य विधि के रूप में देखा जाने लगा है। संभवतः आधुनिक सभ्यता ने अपने विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ाया है। यह एक प्रमुख आर्थिक समस्या है जिससे भारत की प्रगति बाधित हुई है।

भ्रष्टाचार का अर्थ एवं परिभाषा

हम 'भ्रष्टाचार' शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में बखूबी करते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे **'Corruption'** कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के **'Corrustus'** से है, जिसका आशय है तौर-तरीके और नैतिकता में आदर्शों का टूट जाना, घूस लेना आदि।

भ्रष्टाचार की सटीक परिभाषा बड़ा कठिन है; क्योंकि यह कई रूपों में हमारे जीवन में व्याप्त होता है। इसके अन्तर्गत छल, कपट, विश्वासघात, जालसाजी, रिश्वत, चोरी आदि के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना शामिल होता है।

इलियट एवं मैरिल (Elliot and Merril) :

ने भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा है- "अपने अथवा अपने सगे-संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है।"

दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्त्तव्य की उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है।

भारत में भ्रष्टाचार

'ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल' के अनुसार भारत दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल है। संस्था के अनुसार ईमानदारी के निर्धारित 10 में से भारत को सिर्फ 2.8 अंक प्राप्त हुए है। 178 राष्ट्रों की सूची में भारत का स्थान 94 वाँ है।

स्पष्टतः भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। प्रशासन, राजनीति और आर्थिक जगत भ्रष्टाचार के प्रमुख क्षेत्र हैं।

भ्रष्टाचार के कारण

1. **सामाजिक मूल्यों में बदलाव :** भ्रष्टाचार समाज के आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है। समाज में आर्थिक मूल्य सर्वोपरि हैं और पैसा प्रतिष्ठा का पर्याय बन गया है। ऐसे में सारे लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। साधन की पवित्रता या उचित अनुचित तरीके से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

2. **सरकार की आर्थिक नीतियाँ :** सरकार की आर्थिक नीति भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। आर्थिक घोटाले उन्हीं विभागों या क्षेत्रों में होते हैं जहाँ क्रय नीति या मूल्य निर्धारण सरकार करती है।

3. **काला बाजारी :** जब आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है। व्यापारी वर्ग जानबूझ कर लालच में ऐसी वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न करते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।

4. **अपर्याप्त वेतन :** अपर्याप्त वेतन भी भ्रष्टाचार में वृद्धि का एक कारण है। न्यूनतम जीवन स्तर को अगर कर्मचारी अपने वेतन से प्राप्त नहीं करता तो वह भ्रष्ट साधनों को अपनाने लगता है। कई विभागों में ठेके पर नियुक्तियों और अन्य प्रतिष्ठानों की तुलना में कर्मचारियों को न्यून वेतन इसका प्रमुख कारण है। मनरेगा और 'मिड डे मील' जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार इसका उदाहरण है।

5. **राजनैतिक व्यवस्था :** सत्ता और गठबंधन की राजनीति ने भ्रष्टाचार को खूब फलने-फूलने का मौका दिया है। खर्चीली चुनाव प्रणाली, धन-बल का प्रयोग और अवसरवादी राजनीति ने भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

भ्रष्टाचार का प्रभाव

1. **सामाजिक असमानता में वृद्धि :** भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित धन कुछ ही हाथों में केंद्रित होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वार बन्द हो जाते हैं, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जाती है। जीविका के लिए गरीब आबादी भी गलत रास्ते पर चल पड़ती है फलतः असमानता और असंतोष में वृद्धि होती है।

2. **राजनैतिक अस्थिरता :** भ्रष्टाचार से असंतोष और व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता है। इसके विरुद्ध आन्दोलन और इस स्थिति के राजनीतिकरण से देश में राजनैतिक अस्थिरता कायम हो जाती है।

3. **आर्थिक प्रगति में बाधा :** भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के विघटन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। सरकारी धन के अपव्यय से राष्ट्रीय आय में कमी आती है।

4. **अपराध में वृद्धि :** अपराधों में वृद्धि का भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है, अर्थात् भ्रष्टाचार अपराध मे वृद्धि करता है। व्यक्तियों का नैतिक पतन हो जाता है और वे अपराध के दल-दल में फंस जाते हैं।

6. **काले धन की मात्रा में वृद्धि :** भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारी तथा व्यापारी वर्ग के पास काले धन की विशाल मात्रा संचित हो जाती है। जिसका प्रयोग सामाजिक विघटन के लिए होता है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के उपाय

भ्रष्टाचार भारत की सर्वाधिक जटिल आर्थिक समस्याओं में से एक है। इसके नियंत्रण के सारे उपाय अबतक करीब-करीब विफल रहे हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन असंभव सा प्रतीत होने लगा है फिर भी निम्न उपायों द्वारा इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है-

1. **प्रभावी कानून :** भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाए गए कानून पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इन्हें नये सिरे से भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। दण्ड के कड़े प्रावधान होने चाहिए ताकि भ्रष्टाचारी कानून की आँखों के धूल न झोंक सके। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

2. **चुनाव सुधार :** यह भ्रष्टाचार नियंत्रण का प्रभावी उपाय हो सकता है। ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें ईमानदार, शिक्षित और स्वच्छ छवि के लोग ही चुनाव लड़ सकें। चुनाव में धन बल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अपराधी और भ्रष्ट लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

3. **पारदर्शी प्रशासन :** प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति इस दिशा में ठोस पहल हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्तों में एकरूपता और उनका सम्मानजनक स्तर बनाये रखा जाना चाहिए ताकि वे भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित न हों। अधिकारियों- कर्मचारियों की ईमानदारी से भ्रष्टाचार आसानी से खत्म किया जा सकता है।

4. **काला बाजारी पर रोक :** भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए कालाबाजारी पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अनैतिक, अवैध, व्यापार करने वालों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

5. **जन जागरूकता :** भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सामाजिक मूल्यों को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है। भौतिकवादी संस्कृति को त्याग कर संतोष, ईमानदारी और निष्ठा के प्रतिमान- अध्यात्मिक जीवन पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए जन जागरुकता की आवश्यकता है ताकि लोग अपनी जरूरतें सीमित रखें और भ्रष्टाचार से दूर रहें।

उपर्युक्त उपाय अगर प्रभावी ढंग से लागू किए जाए तो निःसंदेश भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी आ सकता है। राजनैतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता इसकी आवश्यक शर्त है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता **गुन्नार मिर्डल** भी इसे स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में, 'भ्रष्टाचार से लड़ाई बिल्कुल निराशा है, यदि शीर्ष स्तरों पर उच्च पैमाने की ईमानदारी और सत्य निष्ठा नहीं है।'

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल - इसकी स्थापना 1993 में एक गैर सरकारी संगठन **(N.G.O.)** के रूप में की गयी थी। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक और व्यवसायिक भ्रष्टाचार पर नजर रखती है और प्रत्येक वर्ष भ्रष्ट देशों की **C.P.I. (Corruption Perception Index)** के आधार पर एक सूची जारी करता है। 178 देशों की नवीनतम सूची में भारत का स्थान 94 वाँ है।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है-

(क) गरीबी (ख) बेरोजगारी (ग) दोनों (घ) कोई नहीं

2. ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन कैलोरी की निर्धारित मात्रा है-

(क) 2400 (ख) 2100 (ग) 2300 (घ) 2200

3. भारत सरकार वर्त्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर करती है?

(क) कैलोरी की मात्रा (ख) प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय

(ग) आय (घ) कोई नहीं

4. 'मनरेगा' का प्रारंभ कब हुआ।

(क) 2001 (ख) 2003 (ग) 2006 (घ) 1995

5. भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्यतः किस प्रकार की है?

(क) संरचनात्मक (ख) घर्षणात्मक (ग) चक्रीय (घ) औद्योगिक

6. कृषि क्षेत्र में पायी जाती है-

(क) खुली बेराजगारी (ख) छिपी बेरोजगारी (ग) शिक्षित बेरोजगारी (घ) कोई नहीं

7. मुद्रा स्फीति कारण है-

(क) अव्यवस्था का (ख) विद्रोह का (ग) महंगाई का (घ) राजनैतिक अस्थिरता का

8. मुद्रा स्फीति कितने प्रकार की होती है।

(क) दो (ख) तीन (ग) पाँच (घ) चार

9. काला धन है-

(क) गैर कानूनी धन (ख) काली मुद्रा (ग) भारी धन (घ) कोई नहीं

10. काले धन का स्त्रोत है-

(क) कर चोरी (ख) अवैध आय (ग) कमीशन (घ) सभी

11. ट्रांसपरेंसी इटरनेशनल किन देशों की सूची जारी करता है?

(क) विकसित देशों की (ख) विकासशील देशों की (ग) भ्रष्ट देशों की (घ) कोई नहीं

निम्न संकेताक्षरों का पूर्ण रूप लिखे

1. MPCE	2. NSSO	3. SHG	4. W.P.I
5. C.P.I	6. MNREGA	7. FEMA	8. FERA
9. TRYSEM	10. IRDP	11. RLEGP	

लघु उत्तरीय

1. गरीबी रेखा से क्या समझते हैं?

2. भारत में गरीबी के चार प्रमुख कारण बताएँ।

3. गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गये कार्यक्रमों का संक्षिप्त उल्लेख करें।
4. बेरोजगारी को स्पष्ट कीजीए।
5. छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी से क्या समझते हैं?
6. बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में बताएँ।
7. 'मूल्य वृद्धि' का अर्थ स्पष्ट करें।
8. मुद्रा स्फीति को परिभाषित करें।
9. भ्रष्टाचार क्या है? इसके कारण लिखें।
10. काला धन किसे कहते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण को समझाइये। इसके आधार पर गरीबी की स्थिति का आकलन प्रस्तुत कीजिए।
2. भारत में गरीबी के कारणों का उल्लेख कीजिए।
3. बेरोजगारी की परिभाषा दें। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण एवं निवारण की चर्चा करें।
4. भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों को विस्तारपूर्वक लिखें।
5. मुद्रा स्फीति कितने प्रकार की होती है? इसकी माप कैसे होती है?
6. मुद्रा स्फीति के प्रभावों को बताएँ।
7. काले धन से क्या समझते हैं? इसके प्रमुख स्त्रोत क्या है? वर्णन करें।
8. भ्रष्टाचार से क्या समझते हैं? इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. ग, 2. क, 3. ख, 4. ग, 5. क, 6. ख, 7. ग, 8. क, 9. क, 10. घ, 11. ग

संदर्भ

- N.C.E.R.T. अर्थशास्त्र (वर्ग-IX)
- हाई स्कूल अर्थशास्त्र- तेज प्रताप सिंह (भारती भवन)
- अर्थशास्त्र- डॉ. सुमन
- योजना- मासिक
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण- 2011-12
- भारतीय अर्थव्यवस्था- प्रतियोगिता दर्पण।

*****

Abdiel Solutions
Empowering Technology